

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-281
दिनांक 20 मार्च, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति

*281 श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलों के प्रभाव को मापने के लिए कौन-सी प्रणालियां शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) राज्य सरकारों को ऊर्जा दक्षता 'रेट्रोफिट' दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाएगा; और

(घ) ऊर्जा दक्षता के संबंध में भारत की कार्यनीति अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों की तुलना में कैसी है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.03.2025 को उत्तरार्थ तारांतिक प्रश्न संख्या 281 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार, एक विद्युत संयंत्र कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में माना जाता है यदि उसके उपयोगकर्ता सामूहिक रूप से संयंत्र के कम से कम 26% हिस्से के मालिक हैं और सालाना उत्पादित विद्युत का कम से कम 51% उपभोग करते हैं। व्यक्तियों के एक संघ के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्र के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता को 10% की स्वीकार्य भिन्नता के साथ अपने स्वामित्व हिस्से के अनुपात में विद्युत का उपभोग करना चाहिए। यदि संयंत्र एक पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित किया गया है, तो स्वामित्व और उपभोग के इन मानदंडों को इसके सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) : विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहलों के प्रभाव को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा मूल्यांकित विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है:

- (1) विद्युत उपकरण: ऊर्जा-कुशल उपकरणों की स्थापना होने के कारण विद्युत की बचत (किलोवाट घंटा) द्वारा मापी जाती है।
- (2) भवन: भवन आवरण में निष्क्रिय डिजाइन उपायों में सुधार करके प्राप्त कूलिंग लोड में कमी के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।
- (3) उद्योग: उत्पादन की प्रति यूनिट प्राप्त ऊर्जा बचत (तेल समतुल्य टन) के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
- (4) परिवहन: ईंधन की खपत की प्रति यूनिट यात्रा की गई दूरी में वृद्धि द्वारा मापा जाता है।

ये संकेतक विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों की प्रभावशीलता को मापने में मदद करते हैं।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मौजूदा वाणिज्यिक और आवासीय दोनों भवनों में ऊर्जा-कुशल रेट्रोफिट के मूल्यांकन, योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक मैनुअल/दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इन मैनुअल की शुरुआत आम जनता के लाभ के लिए फरवरी, 2025 में की गयी है।

ये मैनुअल स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और राज्य स्तर पर रेट्रोफिटिंग विकल्पों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को जवाबदेह नहीं बनाते हैं।

(घ) : भारत ऊर्जा संरक्षण में वैश्विक नेताओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2019 के बीच वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 2% का सुधार हुआ, जबकि भारत ने 2.5% का उच्च सुधार हासिल किया। वर्ष 2021 और 2024 के बीच, वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 1.3% का सुधार हुआ, जबकि भारत ने 1.6% का सुधार दर्ज किया। ये अनुमान 2015 क्रय शक्ति समता (पीपीपी) पर मेगा जूल प्रति अमरीकी डालर में ऊर्जा तीव्रता को मापते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3250

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी की जल प्रबंधन कार्यनीति

3250. श्री विष्णु दयाल रामः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

श्री मनीष जायसवालः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनटीपीसी की जल प्रबंधन कार्यनीति किस प्रकार विद्युत क्षेत्र में भारत के समग्र संधारणीय लक्ष्य के अनुरूप है।

(ख) क्या ऐसे विशिष्ट क्षेत्र अथवा संयंत्र हैं जहां एनटीपीसी ने सर्वाधिक जल बचत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य विद्युत कंपनियों को इसी प्रकार की संधारणीयता संबंधी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुछ नई नीतियों अथवा प्रोत्साहनों की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 जारी किए हैं, जो ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) द्वारा विशिष्ट जल खपत की सीमा निर्दिष्ट करते हैं और दिनांक 28.06.2018 को इसमें संशोधन किया गया है।

तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड ने जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न पहल की हैं, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया पुनर्चना के माध्यम से जल खपत का अनुकूलन, मजबूत "जल नीति", "वर्षा जल संचयन नीति" का कार्यान्वयन और सभी स्टेशनों पर "जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी)" की स्थिति बनाए रखना शामिल है। जल संरक्षण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय/प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं: -

- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) का कार्यान्वयन।
- उच्च सांद्रित राख घोल निपटान (एचसीएसडी) प्रणाली।
- सूखी फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली।
- तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र और वर्षा जल संचयन प्रणाली।
- राख जल पुनःपरिसंचरण प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस)।
- हाल ही में अवार्ड की गई परियोजनाओं में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) और ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम (डीबीएचएस)।

(ख) : एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी करनपुरा थर्मल पावर प्लांट (3x660 मेगावाट) की 02 इकाइयों में 'एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी)' लगाए हैं, जो क्रमशः दिनांक 18.01.2023 और 28.02.2024 को चालू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कूलिंग टॉवर सिस्टम के संबंध में पानी की खपत में 60% की कमी आई है। इसके माध्यम से, एनटीपीसी ने जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

(ग) : जल बचत के लिए एनटीपीसी द्वारा अपनाई गई संधारणीय प्रथाओं को अन्य विद्युत उत्पादक कंपनियों जैसे दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) आदि द्वारा भी अपनाया जाता है।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों को संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) जारी करते समय पानी की खपत की सीमा निर्दिष्ट करता है जिसका अनुपालन संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है।
- भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 28.01.2016 को टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें यह अनिवार्य है कि नगर पालिका/स्थानीय निकायों/इसी तरह के संगठन के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किमी के दायरे में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित थर्मल पावर प्लांट्स को सीवेज उपचार संयंत्र से उनकी निकटता के क्रम में अनिवार्य रूप से इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज जल का उपयोग करना होगा और इस खाते पर संबंधित लागत को टैरिफ में पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3255
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षमता विस्तार

3255. डॉ. शशि थरूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2031-32 तक 80,000 मेगावाट की नियोजित ताप विद्युत क्षमता के संबंध में कोई प्रगति हुई है जिसमें निर्माणाधीन 28,020 मेगावाट और वर्ष 2024-25 में प्रदान की गई 19,200 मेगावाट की वर्तमान स्थिति शामिल है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) जल विद्युत विस्तार में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है।

(घ) परमाणु ऊर्जा विस्तार में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है, जहां वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य की तुलना में केवल 7,300 मेगावाट का ही निर्माण किया जा रहा है,

(ङ) क्या जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा विस्तार की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई उपाय किए गए हैं।

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) ग्रिड एकीकरण, भंडारण और विनियमन सहित ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या हैं; और

(ज) क्या इस पर काबू पाने के लिए कोई उपाय किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने नवंबर, 2023 में 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस लक्ष्य के निमित्त, 2023-24 और 2024-25 में कुल 9,350 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है और वर्तमान में 29,900 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है (अनुबंध-I)। वित्त वर्ष 2024-25 में 22,640 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता के लिए अनुबंध दिए गए हैं (अनुबंध-II), जिसमें से 5,600 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता अभी निर्माणाधीन है।

(ग) : जलविद्युत विस्तार में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरी, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और पहुंच, कानून और व्यवस्था/स्थानीय मुद्दे, भूवैज्ञानिक बनावट, प्राकृतिक आपदाएं, अंतरराज्यीय मुद्दे, प्रतिकूल राज्य नीतियां आदि हैं।

(घ) : नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ उपयुक्त स्थल की उपलब्धता और उसका अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, पर्यावरण और वन मंजूरी, कानून और व्यवस्था/स्थानीय मुद्दे, उपकरणों की समय पर आपूर्ति, कुशल कार्यबल की उपलब्धता और जनता की आशंकाओं का समाधान आदि हैं। इसके अलावा, रिएक्टरों की उच्च प्रारंभिक लागत, नियामक आवश्यकताएं और आयातित परमाणु ईंधन पर निर्भरता है। निर्माणाधीन 7300 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के अलावा, 7000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता भी कार्यान्वयन के अधीन है, जो परियोजना-पूर्व गतिविधियों के चरण में है।

(ङ) और (च) : केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं

(1) देश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए:

- भारत सरकार ने 08.03.2019 को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाएं), गैर-सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ), हाइड्रो पावर टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ यুক্তिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण/भंडारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता, यानी सड़कें/पुलों को मंजूरी दी।
- भारत सरकार ने 11.09.2024 को जलविद्युत परियोजनाओं की अवसंरचना के लिए बजटीय सहायता की संशोधित स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें सक्षम अवसंरचना के दायरे को बढ़ाया गया है।
- जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की सहमति की समय-सीमा घटाकर 125 दिन कर दी गई है।
- नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट, जिसके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद, आईएसटीएस शुल्क में आंशिक छूट, दिनांक 01.07.2025 से 01.07.2028 तक 25% के चरणों में, उन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बढ़ा दी गई है जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और पीपीए पर दिनांक 30.06.2028 तक हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारत सरकार ने 08.10.24 को राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए एनईआर की राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को मंजूरी दी है।
- भारत सरकार द्वारा समय और लागत में कमी लाने के उपायों को 8.11.2019 को अधिसूचित किया गया है।

- निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए जल विद्युत अमृत नामक एक आईटी पोर्टल विकसित किया गया है।
- जलविद्युत परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों को सक्रिय रूप से रोकने के लिए, परियोजना की शुरुआत से ही 'स्वतंत्र इंजीनियर' (आईई) प्रणाली का उपयोग करके विवाद निवारण प्रणाली लागू की गई है। मंत्रालय ने अपनी ईमानदारी और ट्रैक रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध डोमेन विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया है। सीपीएसई और ठेकेदार संयुक्त रूप से प्रत्येक कार्य पैकेज के लिए इस पैनल से एक विशेषज्ञ का चयन करते हैं, जिसे संबंधित अनुबंध के लिए 'स्वतंत्र इंजीनियर' (आईई) के रूप में नामित किया जाता है। आईई को संदर्भित विवादों को सुनवाई और साइट निरीक्षण के माध्यम से सुलझाया जाता है।
- भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसयू और सांविधिक निकायों द्वारा संचालित परियोजनाओं में संविदा संबंधी विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की तीन सुलह समितियों (सीसीआईई) की स्थापना की है।

(II) देश में परमाणु विद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देना:

- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) पैकेजों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।
- परियोजना-पूर्व गतिविधियों को अग्रिम तौर पर शुरू करना और उनमें तेजी लाना, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं के साथ गहन निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए एक विस्तृत, संरचित, बहुआयामी जन जागरूकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(छ) और (ज) : विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण की सुगमता के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2016-17 के दौरान 75,050 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2024 तक 1,18,740 मेगावाट हो गई है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने में प्राथमिक चुनौतियां हैं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में रुकावट, पर्याप्त अनुकूल संसाधनों की अनुपलब्धता आदि हैं।

सरकार ने विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित के लिए राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों के एकीकरण की सुगमता विभिन्न उपाय किए हैं:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणालियों का निर्माण।
- (ii) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना तैयार की गई है।

- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी) की स्थापना तथा नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अंतरायिकता को प्रबंधित करने के लिए ग्रिड प्रचालकों की सहायता करना।
- (iv) सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तथा गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत के साथ संतुलित नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति जैसे नवोन्मेषी उत्पाद शुरू किए गए, ताकि व्यवधान को कम किया जा सके।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम) का कार्यान्वयन।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शक्ति के साथ संयोजन के माध्यम से ताप विद्युत/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और समय निर्धारण में अनुकूलन। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता का समाधान करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन की लोचशीलता अनिवार्य है।
- (vii) हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण हेतु पारेषण अवसंरचना निर्माण करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
- (viii) सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन को केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/क्षेत्रीय लोड डिस्पैच चरणर (आरएलडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।
- (ix) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लेना अनिवार्य है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे कि बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

**निर्माणाधीन ताप विद्युत क्षमता का विवरण
(वित्तीय वर्षवार)**

(दिनांक 01-03-2025 तक)						
क्रम सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण रन तिथि
वित्त वर्ष 2024-25						
1	उत्तरी चेन्नई टीपीपी, चरण-III (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	800	मार्च
2	यदाद्री टीपीएस (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू-1	800	मार्च
3	ओबरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	मार्च
4	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-1	800	मार्च
5	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-3	660	मार्च
6	बाढ़ एसटीपीपी स्ट-1 (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	बिहार	यू-3	660	मार्च
उप-योग					4,380	
वित्त वर्ष 2025-26						
7	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660	मई
8	सागरदिघी टीपीपी चरण-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	राज्य	पश्चिम बंगाल	यू-1	660	मई
9	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	मई
10	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-1	660	मई
11	यदाद्री टीपीएस (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू-4	800	जून
12	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	जून
13	यदाद्री टीपीएस (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू-3	800	जुलाई
14	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660	अगस्त-25
15	यदाद्री टीपीएस (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	तेलंगाना	यू-5	800	सितम्बर 25
16	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-2	660	सितम्बर 25
17	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-3	660	अक्टूबर-25
18	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-2	800	दिसम्बर-25
19	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-3	800	मार्च-26
उप-योग					9,280	
वित्त वर्ष 2026-27						
20	एन्नोर एससीटीपीपी (टीएएनजीईडीसीओ)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660	सितम्बर-26
21	एन्नोर एससीटीपीपी (टीएएनजीईडीसीओ)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660	नवंबर-26

22	महान एसटीपीपी, चरण-II (महान एनर्जेन)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-3	800	दिसम्बर-26
उप-योग					2,120	
वित्त वर्ष 2027-28						
23	महान एसटीपीपी, चरण -II (महान एनर्जेन)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-4	800	मई-27
24	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/ अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-3	800	जून-27
25	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	660	सितम्बर-27
26	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/ अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-4	800	अक्टूबर-27
27	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	660	दिसम्बर-27
28	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	यू-1	800	दिसम्बर-27
29	रायपुर एक्स्टेंशन टीपीपी, फेज-II /अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-1	800	जनवरी-28
उप-योग					5,320	
वित्तीय वर्ष 2028-29						
30	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	यू-2	800	जून-28
31	रायपुर एक्स्टेंशन टीपीपी, फेज-II /अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-2	800	जुलाई-28
32	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केन्द्रीय	झारखंड	यू-1	800	अगस्त-28
33	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केन्द्रीय	झारखंड	यू-2	800	दिसम्बर-28
34	एनएलसी तालाबिरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	800	मार्च-29
उप-योग					4,000	
वित्त वर्ष 2029-30						
35	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-1	800	मई-29
36	एनएलसी तालाबिरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	800	सितम्बर-29
37	डीसीआर टीपीपी एक्सटेंशन, यमुनानगर	राज्य	हरियाणा	यू-1	800	सितम्बर-29
38	सीपत एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	यू-1	800	सितम्बर-29
39	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	800	नवम्बर-29
40	एनएलसी तालाबिरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-3	800	मार्च-30
उप-योग					4,800	
कुल योग					29,900	

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई ताप विद्युत क्षमता का विवरण

(दिनांक 01-03-2025 तक)					
क्रम सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	टिप्पणी
1	सीपत एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्र	छत्तीसगढ़	800	निर्माणाधीन
2	दर्लिपल्ली-II (एनटीपीसी)	केंद्र	ओडिशा	800	-
3	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/ अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	1,600	निर्माणाधीन
4	महान एसटीपीपी, चरण-III (महान एनर्जन)	निजी	मध्य प्रदेश	1,600	-
5	कोडरमाटीपीएस, चरण-II (डीवीसी)	केंद्र	झारखंड	1,600	निर्माणाधीन
6	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, चरण-II /अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	1,600	निर्माणाधीन
7	मीरजापुर टीओ/अदानी पावर	निजी	उत्तर प्रदेश	1,600	-
8	कवाई एसटीटीपी चरण-II /अदानी पावर	निजी	राजस्थान	3,200	-
9	तेलंगाना चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्र	तेलंगाना	2,400	-
10	न्यू नबी नगर-II (एनटीपीसी)	केंद्र	बिहार	2,400	-
11	गाडरवारा चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्र	मध्य प्रदेश	1,600	-
12	कोराडी टीपीपी चरण-V (एमएसपीजीसीएल)	राज्य	महाराष्ट्र	1,320	-
13	रघुनाथपुर टीपीएस, फेज-II (डीवीसी)	केंद्र	पश्चिम बंगाल	1,320	-
14	सिंगरेनी चरण-II (एससीसीएल)	राज्य	तेलंगाना	800	-
कुल				22,640	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3278

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

जल विद्युत परियोजनाएँ

3278. श्री अरुण भारती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत घोषित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ख) नामित उपभोक्ताओं के लिए हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व के प्रावधान क्या हैं;

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा उनका बिजली की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) बाढ़ नियंत्रण और भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए सड़कों, पुलों और ट्रांसमिशन लाइनों जैसी सक्षम अवसंरचना विकसित करने में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले उपायों के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध-I) जारी किया, जिसमें अन्य उपायों के साथ-साथ बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना शामिल था।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2023 के राजपत्र अधिसूचना (अनुबंध-II) के माध्यम से गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की खपत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नामित उपभोक्ताओं अर्थात् विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्य निर्दिष्ट किए हैं।

(ग) : भारत सरकार ने जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले उपायों के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध-I) जारी किया, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ टैरिफ युक्तिकरण उपाय शामिल हैं, जैसे परियोजना की अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने

के लिए विकासकर्ताओं को छूट प्रदान करना, ऋण चुकोती अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाना और 2% वृद्धिशील टैरिफ का प्रावधान। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ विनियम, 2024 के तहत जलविद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं, जैसे उपयोगी कार्यकाल के पहले 15 वर्षों तक मूल्यहास की वसूली और शेष मूल्यहास को शेष उपयोगी अवधि पर वितरित करना, इसके अलावा जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों को टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट दरों से कम मूल्यहास चार्ज करने की अनुमति दी गई है ताकि टैरिफ की फ्रंट लोडिंग कम हो, दक्षता के लिए प्रोत्साहन एवं नई भंडारण/पॉडेज (जलाशय) परियोजनाओं आदि के लिए इक्विटी पर 17% के अनुकूल रिटर्न (आरओई) का प्रावधान। इन उपायों का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27.02.2023 को दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एमपीपी) के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए ₹6159.40 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है, जिसे एनएचपीसी को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जानी है। बाढ़ नियंत्रण और भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं संस्थापित क्षमता	परियोजना विकासकर्ता	राज्य	विद्युत मंत्रालय द्वारा अब तक दिया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	दिबांग एमपीपी (2880 मेगावाट)	एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश	546.86

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2021 के कार्यालय जापन के माध्यम से सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता के दायरे को दिनांक 30.09.2024 के कार्यालय जापन के माध्यम से बढ़ा दिया गया है, जिसमें बिजलीघर से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक पारिषण लाइन के निर्माण (राज्य या केंद्रीय पारिषण यूटिलिटी के पूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित), रोपवे, रेलवे साइडिंग और संचार अवसंरचना के लिए होने वाली लागत को शामिल किया गया है।

बजटीय सहायता स्वीकृत/मूल परियोजना लागत के सापेक्ष 25% वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के पश्चात 'प्रतिपूर्ति' के रूप में है। जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं संस्थापित क्षमता	परियोजना विकासकर्ता	राज्य	विद्युत मंत्रालय द्वारा अब तक दिया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	लुहरी चरण-I एचईपी (210 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	42.75
2.	धौलासिद्ध एचईपी (66 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	6.38
कुल				49.13

फा.सं. 15/2/2016-एच-1 (भाग)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 2019

कार्यालय जापन

विषय: जल विद्युत क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु उपाय।

मंत्रिमंडल सचिवालय से दिनांक 07.03.2019 के अ.शा.पत्र सं.11/सीएम/2019(iii) द्वारा प्राप्त संप्रेषण के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं:

2. एलएचपी (>25 मेगावाट की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना:

2.1 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, अर्थात् >25 मेगावाट की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया जाता है। तथापि, एलएचपी, लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपीज़), अर्थात् 25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजनाओं को उपलब्ध वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, एनबीडब्ल्यूएल स्वीकृति, जैसी वैधानिक स्वीकृतियों और संबंधित संचयी प्रभाव मूल्यांकन एवं क्षमता अध्ययन करने के लिए कोई विशेष व्यवहार के लिए स्वतः ही पात्र नहीं हो जाएंगे। एलएचपी के लिए विद्युत मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय बना रहेगा।

3. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर पृथक इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ):

3.1 जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर पृथक इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है। एचपीओ में इस कार्यालय जापन के जारी होने के बाद चालू हुए सभी एलएचपी के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की असंबद्ध क्षमता (अर्थात् बिना पीपीए की) को शामिल किया गया है। यह एचपीओ (इसके लिए निर्धारित प्रतिशतता बढ़ाने के बाद) मौजूदा गैर-सौर आरपीओ के भीतर होगा ताकि एचपीओ के समावेशन के पश्चात् अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए मौजूदा गैर-सौर आरपीओ पर प्रभाव न पड़े। वार्षिक एचपीओ लक्ष्यों की ट्रेजेक्टरी जल विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित क्षमता अभिवृद्धि योजनाओं के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी। एचपीओ को प्रचालनरत करने के लिए टैरिफ नीति तथा टैरिफ विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

4. जल विद्युत टैरिफ कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय:

4.1 परियोजना का कार्यकाल 40 वर्ष तक बढ़ाने, ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2% की वृद्धिशील टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए विकासकर्ताओं को लचीलापन प्रदान करने सहित टैरिफ युक्तिकरण उपाय।

4.2 परियोजना के उपयोगी कार्यकाल के बाद समतलीकृत टैरिफ की गणना सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के आधार पर की जाए और इसके बाद, ऐसी अवधि के लिए जल विद्युत के प्रापण हेतु, जो निर्दिष्ट

वर्षों से कम न हो, दीर्घावधिक पीपीए (उत्पादक द्वारा लिए गए ऋण के लिए पुनर्भुगतान योजना पर इस प्रकार निर्भर करते हुए कि ऋण के अधिकांश भाग का ऐसे पीपीए की अवधि के दौरान भुगतान कर दिया जाए), के लिए वर्ष-वार टैरिफ का निर्धारण, उनकी व्यवहार्यता के अनुसार और ऋणदाताओं के साथ तय की गई ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों पर निर्भर करते हुए विकासकर्ताओं और डिस्कॉमों पर छोड़ दिया जाए, बशर्ते कि-

(क) आवदेन दायर करते समय जल विद्युत के उत्पादक द्वारा पूर्वानुमानों सहित ऐसी पूर्ण गणना प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) उपयुक्त विनियमक आयोग द्वारा अग्रिम अनुमोदन।

5. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता:

5.1 भविष्य में स्थापित किए जाने वाले भंडारण एचईपी के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण घटक के लागत की गणना दिशा-निर्देशों के अनुरूप तकनीकी एजेंसियों अर्थात् सीडब्ल्यूसी आदि द्वारा की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण/भंडारण लागतों के लिए अपेक्षित राशि उचित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी)/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के बाद विद्युत मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से जारी की जाएगी।

6. समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता:

6.1 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के निधियन के लिए विद्युत मंत्रालय के बजटीय अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह सहायता इस कार्यालय जापन की अधिसूचना के बाद निर्माण शुरू करने वाली परियोजनाओं पर लागू होगी। यह बजटीय सहायता पीआईबी/सीसीईए द्वारा मौजूदा नियमों/उचित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी। ऐसी सड़कों और पुलों के लिए ऐसी अनुदान की सीमा निम्नानुसार होगी:

क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. बेंजामीन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23324357

ई-मेल: ben.gangte@nic.in

1. अध्यक्ष, सभी राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटी
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/आयुक्त (विद्युत)
4. विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
5. अध्यक्ष, सीईआरसी
6. सभी एसईआरसी के अध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
6. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7. सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
8. सीईओ, नीति आयोग
9. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय
10. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

प्रतिलिपि - सूचनार्थ:

1. अ.शा.पत्र सं. 11/सीएम/2019(iii) दिनांक 07.03.2019 से प्रभावी निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक, प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/एफए/ईए, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
4. सभी निदेशक, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक (तकनीकी) एनआईसी सेल, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए अनुरोध।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता (आर एंड आर), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि टैरिफ विनियमों में उपर्युक्त पैरा 3.1, 4, 4.1 तथा 4.2 में उल्लिखित उक्त टैरिफ युक्तिकरण उपायों को सम्मिलित करने के लिए और उक्त अन्य पैराग्राफों के लिए उपयुक्त परिवर्तन हेतु भी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के अनुसार सीईआरसी/एसईआरसीज को उचित निदेश जारी करें।
2. अध्यक्ष, सीईए को उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249637
CG-DL-E-23102023-249637

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945

No. 4438]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4617(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ढ) और (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा या फीडस्टॉक के रूप में अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा तथा अनुसंधानकारी विद्युत वितरण के संबंध में विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म स्रोतों के विभिन्न प्रकारों के उपभोग का भिन्न हिस्सा और अन्य अभिहित उपभोक्ता जैसे निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ता या आवृद्ध उपयोगकर्ता जो उसके विस्तार तक अनुसंधानकारी वितरण से भिन्न अन्य स्रोतों से बिजली का उपभोग करते हैं, निम्न सारणी उनकी कुल इंगित ऊर्जा उपभोग के हिस्से के प्रतिशत को, विनिर्दिष्ट करती है

सारणी

क्र.सं.	वर्ष	पवन नवीकरणीय ऊर्जा	जल नवीकरणीय ऊर्जा	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा*	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	कुल नवीकरणीय ऊर्जा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%

4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

टिप्पण 1: * पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक सारणी में दिए गए का आधा होगा और इन राज्यों का शेष घटक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित किया जाएगा।

टिप्पण 2: पवन नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी।

टिप्पण 3: जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) भी हैं] से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी:

परंतु, यह कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य/डिस्कॉम को प्रदान की जा रही निःशुल्क बिजली से भी पूरी की जा सकती है:

परंतु, यह और कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति भारत से बाहर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से भी पूरी की जा सकती है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अलगअलग मामले के - आधार पर अनुमोदित किया जाए।

टिप्पण 4: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा से पूरी की जाएगी और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सौर संस्थापना के अधीन सभी कॉन्फ़िगरेशन (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर स्थापना और किसी अन्य कॉन्फ़िगरेशन के पीछे) सम्मिलित होंगी।

परंतु, यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अनुपालन को सामान्यतः ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाइयों) के निबंधनों के अनुसार माना जाएगा:

परंतु, यह और कि अभिहित उपभोक्ता की दशा में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनों के संबंध में उत्पादन डाटा प्रदान करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को, प्रति दिन 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट (किलोवाट घंटा/किलोवाट/) के गुणक द्वारा ऊर्जा के निबंधनों अनुसार वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पण 5: अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति टिप्पण 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा से पूरी की जा सकती है और 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व आरंभ हुई सभी डब्ल्यूपीपी और जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) हैं] ऊर्जा समाविष्ट करेगा, जिनमें निःशुल्क बिजली भी शामिल है।

2. किसी विशिष्ट वर्ष में अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में किसी भी कमी को जल नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो उस वर्ष के लिए और विपर्ययेन उस ऊर्जा घटक से अधिक है।

3. उस वर्ष में पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन अतिशेष अधिक ऊर्जा उपभोग को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक का हिस्सा माना जा सकता है।

4. किसी विशिष्ट वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन किसी भी अधिक ऊर्जा उपभोग का उपयोग, अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

5. अभिहित उपभोक्ता, जो निर्बाध या आबद्ध विद्युत संयंत्र वाले उपभोक्ता हैं, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत के बावजूद विनिर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार उनकी बाध्यताओं को पूरा करेंगे।
6. विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4, तारीख 24 मई, 2022: में प्रकाशित, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

परंतु, यह कि विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों में किसी भी कमी को अननुपालन माना जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
7. ब्यूरो अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के अनुपालन से संबंधित डाटा अनुरक्षित करेगा और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
8. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होगी और उस समय तक, विद्युत मंत्रालय के तारीख 19 सितम्बर, 2022 के शुद्धिपत्र के साथ पठित, आदेश संख्या 9/13/2021-आरसीएम, तारीख 22 जुलाई, 2022, के पैरा 5 से 14 में विनिर्दिष्ट आरपीओ प्रक्षेपवक्र लागू रहेगा।

[फा. सं. 9/13/2021-आरसीएम]

अजय तिवारी, अपर सचिव

जलविद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने के लिए विशिष्ट उपाय

1. **टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम करने के उपाय:** वर्ष 2019-24 टैरिफ अवधि तक, जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के उपयोगी कार्यकाल के पहले 12 वर्षों के लिए मूल्यहास की वसूली स्ट्रेट-लाइन पद्धति (@ 5.28%) पर आधारित थी और शेष मूल्यहास को शेष उपयोगी कार्यकाल पर वितरित किया जाना था।

वर्ष 2024-29 टैरिफ अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियमन, 2024 के तहत, टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम करने के लिए, विशेष रूप से नई परियोजनाओं के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें स्ट्रेट-लाइन पद्धति के आधार पर मूल्यहास की वसूली को उपयोगी जीवन के पहले 15 वर्षों (15 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि को 15 वर्ष मानते हुए) तक बढ़ा दिया गया है और शेष मूल्यहास को शेष उपयोगी कार्यकाल पर वितरित किया जाएगा। दिनांक 31.3.2024 को मौजूद परियोजनाओं के लिए कोई बदलाव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों को टैरिफ विनियमन, 2024 में निर्दिष्ट दरों से कम मूल्यहास चार्ज करने का विकल्प दिया गया है ताकि टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम किया जा सके। टैरिफ विनियमन, 2024 में पेश किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

“बशर्ते कि मौजूदा जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, उत्पादन कंपनी, लाभार्थियों की सहमति से, टैरिफ के फ्रंट लोडिंग को कम करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर मूल्यहास लगा सकती है।”

2. **दक्षता के लिए प्रोत्साहन:** टैरिफ विनियमन उन जलविद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है जिनका कार्यनिष्पादन मानक मापदंडों से बेहतर है। यह कुशल ऑपरेटरों को पुरस्कृत करता है और उन्हें अपने कार्यनिष्पादन और संयंत्रों के उपयोग को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को बाजार से विद्युत की महंगी खरीद के लिए होने वाली लागत की बचत हो सकती है। जलविद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

- क) यदि प्राथमिक आवृत्ति प्रतिक्रिया 30% की सीमा से अधिक प्रदान की जाती है तो क्षमता शुल्क के अधिकतम 3% तक का अतिरिक्त वार्षिक स्थित शुल्क।
- ख) रन-ऑफ रिवर जलविद्युत उत्पादन स्टेशन को प्रोत्साहन राशि 50 पैसे/किलोवाट घंटा की दर से देय होगी जो दिन (24 घंटे) के दौरान औसत बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा से अधिक पीक घंटों में बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा के अनुरूप होगी।
- ग) द्वितीयक ऊर्जा प्रभार दर ₹ 1.20/यूनिट से बढ़ाकर ₹ 1.30/यूनिट कर दी गई।

3. **इन्विटी पर अनुकूलित रिटर्न (आरओई):** नई भंडारण/जलाशय परियोजनाओं के लिए आरओई 17% निर्धारित किया गया है, जबकि मौजूदा परियोजनाओं में पुरानी दरें (16.50%/15.50%) बरकरार रखी गई हैं।

4. **बीमा लागतों का पृथक्करण:** बीमा की बढ़ती लागत (जैसे अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण) को देखते हुए, अब प्रतिस्पर्धी बोली और विवेकपूर्ण जांच के आधार पर बीमा व्यय को अलग से अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टैरिफ गणना वास्तविक लागतों को अधिक प्रतिबिंबित करती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव को रोका जा सकता है।
5. **स्थानीय अवसंरचना के लिए समर्थन:** स्थानीय अवसंरचना के विकास के लिए 10 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक की राशि, जिससे परियोजना में देरी, लागत वृद्धि और समय की अधिकता कम होगी।
6. **गैर-टैरिफ आय की शेयरिंग:** जल विद्युत उत्पादन कंपनियों के पास भूमि बैंक और अन्य सक्षम अवसंरचना जैसी परिसंपत्तियों के रूप में पर्याप्त संसाधन हैं, जिनका उपयोग गैर-मुख्य राजस्व, इको-पर्यटन आदि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, इको-पर्यटन को और मजबूत करने के लिए जल विद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इको-पर्यटन से गैर-टैरिफ आय को साझा करने का प्रावधान किया गया है:

“84. गैर-टैरिफ आय की शेयरिंग: उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली के मामले में भूमि या भवन के किराये, इकोटूरिज्म, स्क्रेप की बिक्री और विज्ञापनों से प्राप्त गैर-टैरिफ शुद्ध आय को उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी और लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों के बीच, जैसा भी मामला हो, 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।”

7. इसके अतिरिक्त, सीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझाकरण) विनियम 2020 संशोधनों सहित के तहत, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित विद्युत विनियमों के तहत निर्दिष्ट ट्रेजेक्टरी के अनुसार पारेषण प्रभारों की छूट के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3291
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल की जनजातीय बस्तियों में विद्युतीकरण की स्थिति

3291. श्री सौमित्र खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की जनजातीय बस्तियों में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति जिला-वार क्या है;

(ख) चालू वर्ष और गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि वर्षवार आवंटित और उपयोग की गई; और

(ग) पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 22 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य के अंतर्गत, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 7,32,290 घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमों दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी

न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य योजना के माध्यम से पीएम-जनमन के अंतर्गत चिह्नित किए गए कुल 3,372 आदिवासी घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों अर्थात पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	कुल
जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)	594	631	73	221	601	2,120

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3301
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली वाले और बिना बिजली वाले परिवारों से संबंधित आंकड़े

3301. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में बिजली के कनेक्शन वाले और बिना बिजली के कनेक्शन वाले परिवारों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उन घरों की संख्या कितनी है, जिन्हें 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं की गई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान 24x7 विद्युत आपूर्ति के आश्वासन वाले क्षेत्रों, सूचित किए गए विद्युत डाउनटाइम के उदाहरण सहित कारणों और औसत डाउनटाइम अवधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दे रही है। ये स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सभी संगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध-I पर है)। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्यवार विवरण अनुबंध-II पर है)।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत भी सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों को स्कीम के

दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, 10,19,030 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर हैं)। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत सभी घरेलू विद्युतीकरण कार्य स्कीम की समाप्ति तिथि तक पूरे किए जाने हैं।

(ग) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालांकि, विनियामक आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। यह नियम सभी राज्यों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं। विद्युत मंत्रालय फीडर स्तर से नीचे अर्थात् घरेलू स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं करता है।

देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 466 गीगावॉट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 234 गीगावॉट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में बदल रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सीकेएम पारेषण लाइन, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता हासिल की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत पहुंचाने की क्षमता हासिल हुई है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-IV** पर है।

मंत्रालय ने इन राज्यों को अधिशेष राज्यों/उत्पादक कम्पनियों (जेनको) से विद्युत खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- i. ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- ii. एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जा रहा है।
- iii. आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करने और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- iv. हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- v. अधिकतम मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- vi. समयबद्ध संवर्धन के लिए नई विद्युत उत्पादन क्षमता की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।
- vii. सरकार ने विनियामक ढांचे के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा दी है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) विद्युत एक्सचेंजों अर्थात् भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से हानि वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं।
- viii. विद्युत एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, ई-बोली के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) और डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत खरीद के लिए ई-रिवर्स भी है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचलप्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

* सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य
(पीवीटीजी + अतिरिक्त घर+ वीवीपी)**

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (रुपए करोड़ में)	संस्वीकृत जीबीएस (रुपए करोड़ में)	कुल संस्वीकृत घर
क.	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर			
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959
2	मेघालय	435.7	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.9	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	7.47	4.48	872
8	जम्मू एवं कश्मीर	77.1	69.39	10,730
9	बिहार	238.86	143.32	35,467
10	असम	785.55	706.99	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.4	6,506
12	मणिपुर	214.44	193	36,972
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.9	63,161
14	केरल	0.33	0.2	40
कुल (क)		3,711.98	2,739.99	8,14,452
ख.	वाइब्रेंट गांवों में आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
कुल (ख)		39.34	35.41	2,837
ग.	पीएम-जनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण			
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054
2	बिहार	0.28	0.17	51
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.9	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.2	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.6	0.54	669

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (रुपए करोड़ में)	संस्वीकृत जीबीएस (रुपए करोड़ में)	कुल संस्वीकृत घर
14	उत्तर प्रदेश	1.1	0.66	316
उप जोड़ (ग1)		516.15	328.31	1,29,269
ग 2	राज्य स्कीम के अंतर्गत पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण को शामिल किया गया **			
1	गुजरात	0	0	
2	ओडिशा	0	0	
3	पश्चिम बंगाल	0	0	
उप जोड़ (ग 2)				
कुल (ग = ग 1+ ग 2)		516.15	328.31	1,29,269
घ.	डीए-जेजीयू के तहत चिह्नित जनजातीय परिवारों का विद्युतीकरण			
घ1	संस्वीकृत घर			
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921
2	अरुणाचल प्रदेश	8.2	7.38	1,938
3	बिहार	61.4	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550
5	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.49	100
6	कर्नाटक	32.13	19.28	4,229
7	केरल	5.88	3.53	1,097
8	मध्य प्रदेश	39.82	23.89	6,493
9	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480
10	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
11	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
12	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867
उप जोड़ (घ 1)		364.77	233.69	69,994
घ 2	संस्वीकृत सार्वजनिक स्थान			
1	आंध्र प्रदेश	0.7	0.42	182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	मध्य प्रदेश	1.5	0.9	256
4	तेलंगाना	2.89	1.74	672
5	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
6	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
उप जोड़ (घ 2)		7.58	5.26	1,661
कुल (घ = घ 1+ घ 2)		372.34	238.95	71,655
ड.	पीएम-अजय स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य			
1	आंध्र प्रदेश	3.5	2.1	811
2	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
कुल (ड)		3.5	2.1	817
कुल जोड़ (क + ख + ग + घ + ड)		4,643.32	3,344.75	10,19,030

पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 23				वित्त वर्ष 24				वित्त वर्ष 25*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0	1,843	1,843	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0	35,935	35,924	12	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.0	65,605	65,575	30	0.0
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.0	12,495	12,458	37	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	0.0	18,526	18,439	87	0.5
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0	72,623	72,623	0	0.0
राजस्थान	101,801	100,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.0	104,549	104,245	304	0.3
उत्तर प्रदेश	144,251	143,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.0	153,505	153,203	302	0.2
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.0	15,563	15,521	42	0.3
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1	38,757	38,729	28	0.1
गुजरात	139,043	138,999	44	0.0	145,768	145,740	28	0.0	138,514	138,514	0	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2	95,286	95,162	124	0.1
महाराष्ट्र	187,309	187,197	111	0.1	207,108	206,931	176	0.1	183,137	183,078	59	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0	9,925	9,925	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0	4,904	4,904	0	0.0
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1	71,471	71,468	3	0.0
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0	78,531	78,527	4	0.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 23				वित्त वर्ष 24				वित्त वर्ष 25*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2	82,127	82,123	4	0.0
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0	28,597	28,588	8	0.0
तमिलनाडु	114,798	114,722	77	0.1	126,163	126,151	12	0.0	118,313	118,308	5	0.0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0	3,244	3,244	0	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0	61	61	0	0.0
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4	41,259	41,085	174	0.4
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8	13,941	13,865	76	0.5
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1	39,132	39,108	24	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1	65,075	64,984	91	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0	516	516	0	0.0
अंडमान और निकोबार	348	348	0	0.1	386	374	12	3.2	386	375	11	2.9
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0	956	956	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8	11,897	11,891	6	0.0
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5	978	974	5	0.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6	1,874	1,873	0	0.0
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0	647	647	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0	865	865	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0	1,779	1,779	0	0.0
अखिल भारतीय	1,513,497	1,505,914	7,583	0.5	1,626,132	1,622,020	4,112	0.3	1,547,785	1,546,229	1,555	0.1

* अंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3336
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का समय

3336. श्री जिया उर रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए औसत चार्जिंग समय 1.5 से 2 घंटे है, जो फास्ट चार्जर्स के लिए 30 मिनट से एक घंटे के वैश्विक बेंचमार्क से बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो यह ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार का विलंब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में उपभोक्ताओं के विश्वास को और कम करता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग समय को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग समय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे चार्जर का प्रकार (या क्षमता), वाहन की बैटरी की क्षमता, चार्जर की दक्षता आदि। इसलिए, इनमें से किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन के आधार पर यह भिन्न हो सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा संकलित कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवधि अनुबंध पर दी गई है।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार प्रमुख राजमार्गों के साथ-साथ शहरों में ईंधन स्टेशनों पर सार्वजनिक तीव्र चार्जिंग अवसंरचना स्थापित कर रहा है।

सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवधि निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	वाहन प्रकार	वाहन मॉडल	रेंज (किमी)	चार्जिंग प्रोटोकॉल	चार्ज का समय
1	ई-2 डब्ल्यू	ओला एस1 (ई2डब्ल्यू-एसी-04) - 2.98 केडब्ल्यूएच	141 किमी.	ओला चार्जर (आईएस 17017-2-6)	~ 1 घंटा
2	ई-2 डब्ल्यू	टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्मार्ट एक्सोनेक्ट - 3.40 केडब्ल्यूएच	115 किमी.	एलईवी एसी (आईएस 60309)	~ 1.2 घंटा
3	ई-2 डब्ल्यू	एथर 450एक्स- 3.7 केडब्ल्यूएच	161 किमी.	एथर ग्रिड (आईएस 17017-2-7)	~ 1 से 1.5 घंटा
4	ई-2 डब्ल्यू	एथर रिजटा - 3.7 केडब्ल्यूएच	159 किमी.	एथर ग्रिड (आईएस 17017-2-7)	~ 1 से 1.5 घंटा
5	ई-2डब्ल्यू	अल्ट्रावॉयलेट एफ77 मैक 2 रीकॉन - 10.3 केडब्ल्यूएच	323 किमी.	यूवी सुपरनोवा (आईएस 17017-2-6)	~ 1 घंटा
6	ई-3 डब्ल्यू	पियाजियो ऐप ई- सिटी एफएक्स मैक्स - 8 केडब्ल्यूएच	145 किमी.	एलईवी एसी (आईएस 60309)	~ 3 घंटा 45 मिनट
7	ई-3 डब्ल्यू	महिंद्रा ट्रिओ एचआरटी - 7.37 केडब्ल्यूएच	171 किमी.	एलईवी एसी (आईएस 60309)	~ 3 घंटा 50 मिनट
8	ई-3 डब्ल्यू	बजाज आरई ई-टीईसी - 8.9 केडब्ल्यूएच	178 किमी.	एलईवी एसी (आईएस 60309)	~ 4 घंटा 50 मिनट
9	ई-3 डब्ल्यू	महिंद्रा ट्रिओ ज़ोर - 7.37 केडब्ल्यूएच	80 किमी.	एलईवी एसी (आईएस 60309)	~ 3 घंटा 50 मिनट
10	ई-4 डब्ल्यू	टाटा पंच.ईवी एडीवी एलआर एसीएफसी - 35 केडब्ल्यूएच	365 किमी.	टाइप-II एसी (7किलोवाट) सीसीएस-II डीसी (50 किलोवाट)	एसी ~ 5 घंटा डीसी ~ 56 मिनट
11	ई-4 डब्ल्यू	टाटा नेक्सन.ईवी - 45 केडब्ल्यूएच	489 किमी	टाइप-II एसी (7 किलोवाट) सीसीएस-II डीसी (60 किलोवाट)	एसी ~ 6 घंटा 36 मिनट डीसी ~ 40 मिनट
12	ई-4 डब्ल्यू	हुंडई कोना इलेक्ट्रिक - 39.2 केडब्ल्यूएच	452 किमी.	टाइप-II एसी(7 किलोवाट) सीसीएस-II डीसी (50 किलोवाट)	एसी ~ 6 घंटा 10 मिनट डीसी ~ 57 मिनट
13	ई-4 डब्ल्यू	एमजी जेडएस ईवी - 50.3 केडब्ल्यूएच	461 किमी.	टाइप-II एसी (7 किलोवाट) सीसीएस-II डीसी (50 किलोवाट)	एसी ~ 8.5 घंटे से 9घंटे डीसी ~ 1 घंटा
14	ई-4 डब्ल्यू	एमजी विंडसर ईवी एक्साइट - 38 केडब्ल्यूएच	332 किमी.	टाइप-II एसी (7 किलोवाट) सीसीएस-II डीसी (50 किलोवाट)	एसी ~ 7.5 घंटा डीसी ~ 55 मिनट
15	ई-4 डब्ल्यू	किआ ईवी 6 जीटी लाइन एडब्ल्यूडी - 84 केडब्ल्यूएच	650+ किमी	सीसीएस-II डीसी (50 किलोवाट)	डीसी ~ 73 मिनट

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3352
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

असम में बिजली की मांग में उछाल

3352. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अनुसार वर्ष 2041 तक असम में बिजली की मांग बढ़कर सात हजार मेगावाट हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में वर्तमान में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और भावी मांग को पूरा करने के लिए कितनी क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई है;

(ग) असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा इस बढ़ती मांग के प्रबंधन में किन प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है जिनमें अवसंरचना पारेषण हानि और वित्तीय अड़चनों का ब्यौरा शामिल है;

(घ) राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण अवसंरचना के उन्नयन और उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार असम की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अंतर्राज्यीय विद्युत क्रय समझौतों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित 20वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2041-42 के लिए असम राज्य की ऊर्जा आवश्यकता और अधिकतम मांग क्रमशः 33,430 एमयू और 7,006 मेगावाट होने का अनुमान है।

(ख) : असम के लिए वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता (आवंटन आधारित) 2,367 मेगावाट है। स्रोत-वार विवरण अनुबंध पर है। सीईए के सहयोग से असम की विद्युत यूटिलिटी द्वारा असम के लिए किए गए संसाधन पर्याप्तता (आरए) अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2034-35 में असम राज्य द्वारा आवश्यक अनुमानित अनुबंधित क्षमता 8,292 मेगावाट होने की संभावना है, जिसमें कोयले से 2,499 मेगावाट, गैस से 771 मेगावाट, जलविद्युत से 1,168 मेगावाट, सौर से 3,304 मेगावाट, पवन से 550 मेगावाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्टोरेज कांटेक्ट के लिए 915 मेगावाट, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) स्रोतों से 1,495 मेगावाट तथा अल्पावधि/मध्यमावधि/बैंकिंग व्यवस्था के लिए 1,139 मेगावाट की भी आवश्यकता हो सकती है।

(ग) से (ड) : असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के अनुसार, असम में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने में कोई चुनौती नहीं है। एपीडीसीएल द्वारा विद्युत क्रय समझौतों के माध्यम से 2,500 मेगावाट की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, एपीडीसीएल आगामी वर्षों में असम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एपीजीसीएल) लोअर कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट से 120 मेगावाट, एनएचपीसी लोअर सुबानसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से 208 मेगावाट, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) घाटमपुर से 495 मेगावाट ताप विद्युत, एनटीपीसी तालचेर से 154 मेगावाट और भूटान के पुनात्सांगछू हाइड्रो प्लांट से 173 मेगावाट विद्युत खरीदेगी। इसके अलावा, शक्ति ख(iv) नीति के अंतर्गत कोयला आवंटन का उपयोग करते हुए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से 500 मेगावाट ताप विद्युत की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, असम में विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण अवसंरचना का उन्नयन करने और उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन:

- क. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्तपोषण के माध्यम से “मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकोल्पो” के अंतर्गत राज्य में 1000 एमडबल्यूपी (750 एमडबल्यूएसी) सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्यान्वयन।
- ख. एपीडीसीएल और एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के गठन द्वारा 1,000 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं का विकास।
- ग. एपीडीसीएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के गठन द्वारा 1,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।
- घ. एपीडीसीएल और ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम का गठन करके 250 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना।
- ड. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं में रूफटॉप सोलर प्लांट की संस्थापना। दिनांक 13.03.2025 तक लाभार्थियों की संख्या 9,098 है और कुल संस्थापित क्षमता 28 मेगावाट है।
- च. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी परियोजना से 70 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित की जाएगी।
- छ. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
- ज. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
- झ. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 15 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

(ii) वितरण अवसंरचना को उन्नत करने के लिए, असम सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) स्कीम के तहत असम में “असम वितरण प्रणाली संवर्धन और हानि न्यूनीकरण” परियोजना शुरू की है, जिसे 3,284.04 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के लिए “एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)” द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

इस परियोजना के अंतर्गत असम के विभिन्न क्षेत्रों में 196 नए 33/11 केवी सब-स्टेशनों के साथ-साथ 2,415 किलोमीटर नई 33 केवी लाइन और 2,272 किलोमीटर नई 11 केवी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 3,673 नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) के साथ उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) और संबंधित 1,683 किलोमीटर नई 11 केवी लाइनों का कार्य भी प्रगति पर है।

(iii) इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन प्राप्त होगा। इस स्कीम के अंतर्गत, असम राज्य के लिए 7,444 करोड़ रुपये की लागत के स्मार्ट मीटरिंग और वितरण अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों में अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य में 63.64 लाख उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, 77,547 वितरण ट्रांसफार्मर और 2,782 फीडर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण अवसंरचना कार्यों में निम्न दाब (एलटी) नंगे कंडक्टरों की रि-कंडक्टरिंग, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन, 11 केवी फीडरों का विभाजन, पुराने 11 केवी और 33 केवी कंडक्टरों को प्रतिस्थापित करना और नए 33 केवी फीडरों को जोड़ना शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने इस स्कीम के अंतर्गत ~41% की वास्तविक प्रगति हासिल की है।

फरवरी, 2025 तक असम के लिए मेगावाट में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता (आवंटन के आधार पर)

स्वामित्व /क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप									कुल योग
	ताप					परमाणु	नवीकरणीय			
	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल		हाइड्रो	आरईएस	कुल	
राज्य	0.00	0.00	306.36	0.00	306.36	0.00	100.00	5.01	105.01	411.37
निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.44	198.44	198.44
केंद्रीय	874.52	0.00	435.56	0.00	1,310.08	0.00	422.08	25.00	447.08	1,757.16
उप-योग	874.52	0.00	741.92	0.00	1,616.44	0.00	522.08	228.45	750.53	23,66.97

नोट: इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन के गैर-आवंटित पूल से 302 मेगावाट विद्युत असम को आवंटित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3365

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली की कमी

3365. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बिजली की मांग और आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति की इकाई लागत और मूल्य/राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 238 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता की वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण अनुबंध पर है। इससे पता चलता है कि वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर घटकर 0.1% के मामूली स्तर पर आ गया है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच यह मामूली अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) भारत सरकार ने नवंबर 2023 में वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में 9,350 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता शुरू की जा चुकी है। 29,900 मेगावाट

ताप क्षमता निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 22,640 मेगावाट ताप क्षमता के लिए अनुबंध दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 33,580 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता अभिचिन्हित की गई है जो योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) 7,300 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन और 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,53,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,670 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 22,940 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 70,210 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 13,050 मेगावाट/78,300 मेगावाट घंटा पम्प भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन/सहमति ली जा चुकी है तथा 14,970 मेगावाट/54,803 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

- (ii) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
- (iii) विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूर्ण क्षमता से प्रचालन एवं विद्युत उत्पादन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iv) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- (v) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जा रहा है।
- (vi) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करें और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखें।
- (vii) जल विद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है, जिससे उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल संरक्षण किया जा सके।
- (viii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- (ix) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को समय पर बढ़ाने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही है।

(x) सरकार ने विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) विद्युत एक्सचेंजों अर्थात् भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से घाटे वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं।

(xi) विद्युत एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, ई-बोली के लिए डीईईपी पोर्टल और डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-रिवर्स पोर्टल भी है।

(ग) : आपूर्ति की यूनिट लागत और प्राप्त की यूनिट दर के बीच अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित सहित कई उपाय/पहल की हैं:

(i) वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटीयों से जुड़ा है, जो अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जिसमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के मापदंडों में सुधार और आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर शामिल है।

(ii) नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से टैरिफ और डू-अप ऑर्डर का समय पर जारी करना।

(iii) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के माध्यम से जेनको बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

(iv) राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं।

(v) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार स्थान की अनुमति देने की स्कीम, जो अपनाए गए सुधारों और विभिन्न मापदंडों के निमित्त प्राप्त कार्यनिष्पादन से जुड़ी है।

(vi) राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

(vii) ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए भी नियम बनाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित की जाएं।

केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 की अवधि में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा रह गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2025 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वर्ष	ऊर्जा			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2021-22	1,379,812	1,374,024	5,787	0.4
2022-23	1,513,497	1,505,914	7,583	0.5
2023-24	1,626,132	1,622,020	4,112	0.3
2024-25* (फरवरी 2025 तक)	1,547,785	1,546,229	1,555	0.1

* फरवरी, 2025 का डेटा अंतिम है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3387
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली का उपभोग

3387. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वार्षिक विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत चार प्रतिशत से अधिक की वार्षिक मांग वृद्धि के कारण सदी के मध्य तक वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बन जाएगा, के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बिजली खपत तीन गुना हो जाने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा बताए गए प्रत्याशित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 के अनुसार, सभी परिदृश्यों में प्रति वर्ष 4% से अधिक की मांग वृद्धि के आधार पर भारत वर्ष 2050 तक दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उपभोक्ता बन जाएगा। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत अगले दशक में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ऊर्जा मांग वृद्धि से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि वर्ष 2030 तक भारत में परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समायोजित करने के लिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संस्थापित बैटरी भंडारण क्षमता होगी।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (मेगा सिटी सहित) की विद्युत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) आयोजित करता है। पिछली ईपीएस रिपोर्ट अर्थात् 20वीं ईपीएस रिपोर्ट नवंबर, 2022 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2031-32 के लिए विद्युत मांग के अनुमानों के साथ-साथ देश के लिए वर्ष 2036-37 और वर्ष 2041-42 के लिए विद्युत मांग के अनुमान शामिल हैं। अधिकतम और ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में अनुमानित मांग का विवरण अनुबंध पर है।

इसके बाद, सीईए द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में उत्पादन और पारेषण के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार की जाती है। एनईपी उत्पादन में अनुमानित भार और ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृद्धिशील क्षमता की आवश्यकता को शामिल किया जाता है। मई, 2023 में प्रकाशित अंतिम एनईपी उत्पादन रिपोर्ट वर्ष 2022-32 में वर्ष 2022-27 के दौरान विस्तृत क्षमता वृद्धि आवश्यकता और वर्ष 2027-32 के लिए परिप्रेक्ष्य योजना अनुमान शामिल हैं।

एनईपी के अनुसार, भारत सरकार ने उत्पादन और पारेषण संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पहलों के साथ-साथ कई उपाय भी सक्रिय रूप से किए हैं। इनमें, अन्य उपायों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उत्पादन योजना:

- (i) देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन और जलविद्युत आदि से प्राप्त क्षमता शामिल है।
- (ii) उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है:
 - (क) भारत सरकार ने नवंबर, 2023 में वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला-आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस लक्ष्य के निमित्त, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में 9,350 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता पहले ही शुरू हो चुकी है। 29,900 मेगावाट ताप क्षमता निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 22,640 मेगावाट ताप क्षमता के लिए कांट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 33,580 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।
 - (ख) 13,997.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 24,225.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
 - (ग) 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
 - (घ) 84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन और 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,53,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,670 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 22,940 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 70,210 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - (ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 13,050 मेगावाट/78,300 मेगावाट घंटा पम्प भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन/सहमति प्राप्त कर चुकी हैं तथा 14,970 मेगावाट/54,803 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. पारेषण योजना:

अंतर-राज्यीय और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता अभिवर्धन के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:

- (i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्ट्री जारी की है।
- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु दिसंबर, 2030 तक हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर, 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की रूपरेखा अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी अभिनामित उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्तियां लगाई जाएगी।
- (v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।
- (viii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करने को वित्त पोषित किया गया है।
- (ix) वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट बोली ट्रेजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यवसाय मॉडल को दर्शाते हुए "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है।
- (x) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टा अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है।
- (xi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त होगी।

20वें ईपीएस सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित मांग का विवरण

वित्त वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता(बीयू)	अधिकतम विद्युत मांग (गीगावाट)
2031-32*	2474	366
2036-37	3095	466
2041-42	3776	575

*20वीं ईपीएस की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 में अनुमानित अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता क्रमशः 388 मेगावाट और 2703 बीयू होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3410
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां

3410. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत उपयोग किये गये कुल परिव्यय के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एण्ड सी) को घटा कर 12-15 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, ताकि वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाया जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) दी जाएगी। अब तक, इस स्कीम के तहत 2.79 लाख करोड़ रुपये (~92%) की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 26,312 करोड़ रुपये (27%) का जीबीएस जारी किया गया है।

(ख) और (ग) : केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 16.28% हो गए हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

हानि में यह कमी आरडीएसएस सहित अनेक सुधारों और उपायों का परिणाम है, जो इस प्रकार हैं:

- i. यदि वितरण यूटिलिटी निष्पादन सुधार उपायों को लागू करती है तो राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाती है।
- ii. निर्धारित मापदंडों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।
- iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पूरी हो जाती हैं।
- iv. उचित सब्सिडी लेखांकन और उसके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।
- v. स्वचालित ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाना।

राज्य-वार एटीएंडसी हानि (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.89	19.80	19.77	20.76
आंध्र प्रदेश	20.42	10.56	7.74	12.05
अरुणाचल प्रदेश	51.82	47.83	51.70	50.42
असम	18.73	16.95	16.22	14.03
बिहार	34.40	33.94	23.45	20.32
चंडीगढ़	13.81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
छत्तीसगढ़	18.05	18.13	16.14	15.88
दिल्ली (एनडीएमसी)	24.83	8.33	10.67	23.34
गोवा	12.89	12.79	17.09	8.30
गुजरात	11.56	9.70	10.67	9.12
हरियाणा	17.46	14.06	12.01	11.30
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.90	10.57	10.98
जम्मू एवं कश्मीर	59.28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखंड	43.09	30.85	27.46	31.17
कर्नाटक	15.97	11.51	14.19	12.01
केरल	7.83	8.08	6.87	8.82
लद्दाख		48.29	38.61	42.46
लक्षद्वीप	11.63	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	41.72	21.36	20.45	23.28
महाराष्ट्र	27.68	15.21	16.97	23.85
मणिपुर	24.56	24.28	13.82	13.41
मेघालय	23.37	29.75	17.75	17.51
मिजोरम	29.05	36.45	26.53	39.19
नागालैंड	47.08	43.26	47.28	47.11
पुदुचेरी	20.12	14.20	21.83	17.75
पंजाब	18.54	11.67	11.26	10.96
राजस्थान	26.18	17.49	15.44	22.08
सिक्किम	98.35	30.77	36.10	54.60
तमिलनाडु	11.78	11.44	10.31	12.92
तेलंगाना	13.33	10.65	18.65	19.17
त्रिपुरा	37.36	24.97	24.91	24.22
उत्तर प्रदेश	27.11	31.10	22.18	16.39
उत्तराखंड	15.39	14.15	15.34	14.65
पश्चिम बंगाल	21.34	16.67	17.32	17.11
निजी क्षेत्र	13.86	13.51	10.76	12.12
कुल योग	21.90	16.18	15.07	16.28

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3437
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

3437. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली की आपूर्ति के लिए अधिकतम लागत निर्धारित करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दिशानिर्देशों की निगरानी या मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा राज्यों द्वारा उन्हें अंगीकृत करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति की अधिकतम लागत के संबंध में निम्नलिखित सुझाव शामिल हैं:

- i. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन संचालित करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा लगाए जाने वाले कुल शुल्क में विद्युत आपूर्ति शुल्क, सेवा शुल्क, भूमि लागत और लागू जीएसटी शामिल होंगे।
- ii. ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति का शुल्क एकल-भाग शुल्क होगा और 31 मार्च 2028 तक "आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस)" से अधिक नहीं होगा। वितरण लाइसेंसधारी सौर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान एसीओएस का 0.7 गुना और गैर-सौर घंटों (दिन के शेष घंटे) के दौरान एसीओएस का 1.3 गुना शुल्क ले सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जहां सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति का शुल्क एकल भाग है, जो आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं है, अनुबंध पर दिया गया है।

- iii. एसी चार्जिंग के लिए सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 3.0 रुपये और गैर-सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 4.0 रुपये का अधिकतम सेवा शुल्क सार्वजनिक और सामुदायिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज करने के लिए लागू होगा। इसी तरह, डीसी चार्जिंग के लिए सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 11.0 रुपये और गैर-सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 13.0 रुपये का अधिकतम सेवा शुल्क सार्वजनिक और सामुदायिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज करने के लिए लागू होगा।

(ग) : उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बीईई को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अलावा, राज्यों को सार्वजनिक, सामुदायिक, कार्यस्थल और ई-बस डिपो चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा के लिए डिस्कॉम और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के साथ समन्वय करने के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी नामित करने की सलाह दी गई है। राज्यों को सचिव ऊर्जा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करने की भी सलाह दी गई है, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास के सचिव और राज्य स्तर पर ईवी चार्जिंग अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए आवश्यक अन्य सदस्य शामिल होंगे।

वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क एकल भाग है, जो आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं है

क्र.सं	राज्य का नाम	पीसीएस को विद्युत आपूर्ति शुल्क (ईवी) (रुपए/यूनिट)	
		एलटी	एचटी
1	अंडमान और निकोबार	12.0	12.0
2	आंध्र प्रदेश	6.7	6.7
3	अरुणाचल प्रदेश	5.0	11 केवी: 4.2, 33 केवी: 4.0
4	बिहार	8.72	7.85
5	चंडीगढ़	3.8	3.6
6	छत्तीसगढ़	6.92	6.92
7	दिल्ली	4.5	4.0
8	गोवा	4.75	4.75
9	हरियाणा	6.48	6.12
10	लक्षद्वीप	7.8	7.8
11	मध्य प्रदेश	6.9	6.9
12	मेघालय	8.5	8.5
13	ओडिशा	5.0	5.0
14	पुदुचेरी	5.75	5.75
15	पंजाब	6.28	6.28
16	तेलंगाना	6.0	6.0
17	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	5.1	4.9
18	उत्तराखंड	7.0	7.0
19	पश्चिम बंगाल	6.0	6.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3442
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

3442. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कंपनी, परियोजना और क्षमतावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत ऐसी परियोजनाओं की संख्या, कंपनी और परियोजनावार कितनी हैं;

(घ) क्या बैंकों से साथ-साथ नकदी की प्रचुरता वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसी संकटग्रस्त विद्युत कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए निधियों का पुनर्गठन करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों/कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : 49 विद्युत परियोजनाओं की पहचान संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में की गई थी, जिनकी कुल क्षमता ~47.5 गीगावाट है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा, उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए, अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) : इन 49 संकटग्रस्त परियोजनाओं में से 30 परियोजनाओं का समाधान कर दिया गया है, जिसमें अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अधिग्रहित 15 परियोजनाएं शामिल हैं, जैसा कि अनुबंध-II पर दिया गया है। इसके अलावा, 9 परियोजनाएं समाधान की प्रक्रिया में हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत मंत्रालय ने संकटग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रणाधीन के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में भाग लेने के लिए सभी राज्यों/उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.11.2023 को एक एडवाइजरी जारी की थी।

संकटग्रस्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
(I) समाधान हो चुकीं परियोजनाएं-			
1	सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	600
2	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड -एनटीपीसी	बिहार	390
3	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200
4	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़	600
5	जीएमआर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	1370
6	आरकेएम पॉवरजेन लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1440
7	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200
8	आधुनिक पावर लिमिटेड	झारखंड	540
9	एस्सार पावर महान लिमिटेड	मध्य प्रदेश	1200
10	जेपी बीना एमपी	मध्य प्रदेश	500
11	जेपी निगरी	मध्य प्रदेश	1320
12	अवंथ झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	600
13	अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड	महाराष्ट्र	3300
14	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	600
15	जीएमआर कमलांगा लिमिटेड	ओडिशा	1050
16	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	ओडिशा	1200
17	इंडस्ट्रीज बाराथ उत्कल लिमिटेड	ओडिशा	700
18	लैंको अनपरा	उत्तर प्रदेश	1200
19	प्रयागराज पावर जेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	1980
20	डीवीसी रघुनाथपुर	पश्चिम बंगाल	1200
21	जीवीके गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट	पंजाब	540
22	मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा	1050
23	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़	3600
24	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1920
25	एसकेएस पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200
26	अमृत जल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1
27	वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	135
28	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1000
29	नागई पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	150
30	कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड	झारखंड	540
कुल योग			32326
(II) संभावित समाधान वाली परियोजनाएं (एनसीएलटी के अंतर्गत या बाहर) -			
1	रत्न इंडिया पावर लिमिटेड - नासिक [सिन्धूर टीपीपी]	महाराष्ट्र	1350
2	कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1200
3	टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	600
4	हिरणमय एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	450
5	भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	300
6	ग्लोबल मेटल एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	10

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
7	श्रीकांत एनर्जी	महाराष्ट्र	2
8	भावनगर बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	10
9	श्री महेश्वर हाइडल पावर कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	400
	कुल योग		4322
(III) अव्यवहार्य परियोजनाएं/परिसमापनाधीन			
1	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा. लिमिटेड (एथेना)	आंध्र प्रदेश	1320
2	एस्सार पावर झारखंड लिमिटेड	झारखंड	1200
3	लैंको बबांध	ओडिशा	1320
4	वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़	270
5	वीजा पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200
6	केवीके नीलांचल पावर लिमिटेड	ओडिशा	1050
7	लैंको विदर्भ पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	1320
8	इंडस्ट्रीज़-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड	तमिलनाडु	660
9	जस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	बिहार	1320
10	कोनसीमा गैस पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	445
	कुल योग		10105
	कुल		47563

पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिग्रहित संकटग्रस्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना	कंपनी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिग्रहित		
1	झाबुआ पावर लिमिटेड	एनटीपीसी लिमिटेड
2	जीवीके गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)
निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिग्रहित		
1	एसकेएस पावर लिमिटेड	सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड (एसईएमएल)
2	इंडस्ट्रीज़ बरथ उत्कल लिमिटेड	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड
3	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड
4	मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड	जिंदल स्टील एंड पावर
5	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	वेदांता लिमिटेड
6	सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड	जिंदल पावर लिमिटेड
7	एस्सार पावर महान लिमिटेड	अडानी पावर लिमिटेड
8	लैंको अनपरा	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
9	अमृत जल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री अशोक सुराना, श्यामाली सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और श्री नागेश गोयनका का कॉन्सॉर्टियम
10	वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड	शेरीशा टेक्नोलॉजीज
11	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	वेदांता लिमिटेड
12	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	अडानी पावर लिमिटेड
13	नागाई पावर प्राइवेट लिमिटेड	स्मार्टजेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
